राजस्व विभाग

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना

जनपद ऊधमसिंह नगर

वर्ष 2015–16

राजस्व विभाग

आपदा से निपटने हेतु कार्य योजना :–

आपदा से घटित होने से आम जनजीवन असमान्य व व्यवस्थायें छिन्न–भिन्न हो जाती है। आपदाओं के कुप्रभाव, स्वास्थ्य, सामाजिक परिवेश खाद्य पदार्थो पर, उनकी आपूर्ति पर, पशुओं पर, फसलों पर, पेयजल, विद्युत, यातायात संचारकण पर्यावरण आंशिक या पूर्ण, अल्पकालिक/दीर्घकालिक होते हैं।

आपदाओं की घटना होने पर राजस्व विभाग का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्व विभाग को बहुआयामी भूमिका निर्वहन करना पड़ता है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही राजस्व विभाग को न केवल प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य योजना को क्रियान्वित करना होता है वरन साथ–साथ विभागीय समन्वय व पर्यवेक्षण भी करना होता है।

किसी भी प्रकार की दैवी आपदा की घटना होने पर क्षेत्रीय लेखपाल/पट्वारी का यह दायित्व है कि वह इसकी सूचना अविलम्ब तहसील मुख्यालय/तहसीलदार को देंगे। पर्वतीय क्षेत्र में यद्यपि दुर्गमता संचरण की है तथापि यह प्रयास होना चाहिए कि दैवीय आपदा की सूचना मुख्यालय में शीघ्र–अतिशीघ्र 24 घन्टे के अन्दर दी जानी चाहिए। सूचना निकटतम दूरभाष, वायरलैस केन्द्र थाना/चौकी/वन रैंज कार्यालय /कुमायूँ मण्डल विकास के रैस्ट हाऊस के माध्यम से दी सकती है। साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी या विशेष वाहक के माध्यम से भी सूचना का प्रेषण किया जाना चाहिए। सूचना प्रेषण में यह भी प्रयास किया जाना चाहिए कि दैवी आपदा का संक्षिप्त सार/स्वरूप भी सम्मिलित हो। इससे राजस्व विभाग के अधिकारी विभागीय समन्वय शीघ्रता से कर सकेंगें। तहसीलदार सूचना प्राप्त होते अविलम्ब इसकी सूचना को उप जिलाधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय/अपर जिलाधिकरी (वि0/रा0) को देंगे साथ ही दैवी आपदा के स्वरूपानुसार सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को सूचित कर देंगे। आवश्यक व्यवस्थायें कर घटना स्थल को प्रस्थान करेंगे।

आपदा राहत कार्य योजना :–

आपदा से थोड़े/सीमित क्षेत्र में फसलों, मकानों आदि को नुकसान हुआ हो तो क्षेत्रीय पट्वारी/लेखपाल, कानूनगो, अतिशीघ्र स्थल निरक्षण कर क्षति की जॉच/मूल्यांकन कर आंख्यायें तहसीलदार को देंगे। तहसीलदार अल्प समय में राहत वितरण कार्य प्रारम्भ करेंगे।

यह प्रभावी क्षेत्र बड़ा हो तो तहसीलदार दलों का गठन कर विभिन्न क्षेत्रों में भेजेगे, ऑकलन करा कर/वितरण कार्य आरम्भ करेंगे। दलों के गठन में राजस्व विभाग क्षेत्रीय कर्मियों के साथ–साथ विकास खण्ड, उद्यान विभाग, के कर्मियों को तैनात करेंगे। क्षेत्र बड़ा होने पर उसे सेक्टरवार बॉट कर लो0नि0वि0 व अन्य विभागों के अवर अभियन्ताओं को सेक्टर प्रमुख बनाया जायेगा।

आपदा से प्रभावित व्यक्ति जो भूखमारी के कगार पर हो उनको तत्कालिक तौर पर समीपस्थ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों, अन्य खाद्य सामग्री की निजी दुकानों, व स्थानीय सम्पन्न लोगों से प्राप्त खाद्य सामाग्री उपलब्ध कराकर वितरण की जायेगी। तात्कालिक तौर पर दैवी आपदा के मदों के अनर्तगत उपलब्ध धनराशि तथा रजिस्टर नम्बर – 4 में उपलब्ध धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

बाढ़ की स्थिति में बाढ़ चौकियों की स्थापना :–

बाढ़ आने के पूर्व प्रत्येक तहसील क्षेत्र में संवेदनशील नालों में बाढ़ चौंकियों की स्थापना की जायेगी। चौकी के प्रभारी पट्टी पट्वारी सम्बन्धित क्षेत्र के होगें, साथ में उनके चपरासी व क्षेत्र के ग्राम पंचायत अधिकारी भी चौकी में रहकर बाढ़ आने की दशा में सूचना प्रेषित कर तत्काल राहत कार्य शुरू करेंगे।

वनाग्नि की स्थिति में कार्य योजना :–

पट्टी पट्वारी क्षेत्र में कहीं भी वनाग्नि की सूचना प्राप्त होते ही या स्वयं अग्नि लगी देखकर तत्काल सूचना का प्रेषण मुख्यालय व सम्बन्धित वनप्रभाग व नजदीकतम वन चौंकी व रेंज कार्यालय को

देंगें। इसके साथ ही तत्काल आस–पास के ग्रामीणों के सहयोग से स्थानीय उपलब्ध व्यवस्थओं से अग्नि नियंत्रित व बुझाने का कार्य करेंगे। वनाग्नि सतर्कता समिति के भी पट्वारी सदस्य हैं। समिति को भी सूचति करते हुए अग्नि नियंत्रित व बुझाने का कार्य करेंगे।

नियंत्रण कक्ष व सूचना केन्द्र :–

बड़े आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सूचना केन्द्र व नियंत्रण कक्षों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह एक प्राथमिक अपरिहार्य आवश्यकता है। इसमें सूचनाओं का संकलन होगा व प्रसारण होगा, यहॉ से राहत कार्य स्तर सूचनाओं का भी प्रेषण होगा। प्रत्येक विभागीय कार्यो की गति व आपदा क्षेत्र की स्थिति आश्रय केन्द्रों, चिकित्सा, पेयजल, खाद्यान्न आपूर्ति की स्थिति से नियंत्रण कक्ष/सूचना केन्द्र को अध्यावदिक रखा जायेगा, यह कार्य सूचना विभाग करेगा। इसके अलावा तहसील मुख्यालय व जिला मुख्यालय पर ही नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेगें जो सूचनाओं संकलन व प्रेषण करेंगे।

नियंत्रण कक्ष/सूचना केन्द्रों में तैनात वरिष्ठ अधिकारी किसी भी सूचना का प्रसारण किसी भी मीडिया, संवाददाता को बिना संतुष्ट व कनफर्म हुये नहीं देंगे। बिना संतुष्ट हुए संवाददाताओं को सूचनाऐं, वक्तत्य देने से अनावश्यक समाचार–पत्रों व दूरदर्शन में गलत समाचार का प्रसारण होगा। जिससे न केवल राहत कार्य बाधित होगा वरन् गलत तथ्यों का प्रचार होगा।

विभागीय समन्वय :–

आपदा के स्वरूपानुसार विभागीय समन्वय एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई बार बाढ़/भू–स्खलन/सूखा भूकम्प का क्षेत्र बड़ा होने पर व जनजीवन के साथ–व्यवस्थायें (यायायात, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत, पशु, खाद्यान्न, आपूर्ति नहरें/ गूलें, जलप्लावन) भी कुप्रभावित हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को सूचना करना अत्यन्त आवश्यक है और शीघ्र–अतिशीघ्र जनजीवन व व्यवस्थाओं को सुचारू करना होगा। घटना क्षेत्र के निकटतम सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मियों के सहयोग लने होगें व शीघ्रता से घटना क्षेत्र में उन्हें लाना होगा। राहत कार्य आपसी समन्वय से शीघ्रता से सम्पन्न कराने होंगे।

स्थाई आश्रय केन्द्र:–

ऐसे स्थल जिसके आस–पास आवादी हो वहाँ पर पूर्व में ही स्थल चिन्हित कर लें। अस्थाई आश्रय केन्द्र पूर्व में ही निश्चित कर प्रभावित हो सकने वाली आबादी, कों उन आश्रय स्थलों में अस्थाई रूप से आवासित कराना होगा। दैवी आपदा का स्वरूप बढ़ा होने पर, अस्थाई आश्रय केन्द्रों का निर्माण तिरपाल/टैन्ट व टीन शेड, लो0नि0वि0 के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर निर्मित करवाये जायेगे उनमें प्रभावित क्षेत्र/ग्राम के लोगों को अस्थाई रूप से विस्थापित किया जायेगा। अस्थाई आश्रय केन्द्र की स्थापना हेतु जनपद में उपलब्ध टैन्ट, त्रिपाल के अतिरिक्त अन्य जनपदों से भी टैन्ट/त्रिपाल मंगवायें जा सकते है। अस्थाई आश्रय केन्द्रों हेतु निकटतम गोदामों, स्कूल/कालेज भवनों/सरकारी हालों आदि का भी प्रयोग हो सकता है।

अस्थाई चिकित्सा (मानव/पशु) केन्द्र :–

उपरोक्त अस्थाई आश्रय केन्द्रों के साथ अस्थाई चिकित्सा केन्द्रों का संचालन भी कराना होगा। इन केन्द्रों पर मानव/पशुओं पर आपदा के स्वास्थ्य कुप्रभावों को रोकना व स्वास्थ्य संरक्षित करना होगा। स्वास्थ्य केन्द्र आवश्यकतानुसार दल के रूप में आश्रय केन्द्र के निकट स्थापित किये जायेंगे। इनमें आवश्यक चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध होगी। यह कार्य नोडल विभाग, स्वास्थ्य विभाग का होगा।

अस्थाई खाद्यान्न/आपूर्ति केन्द्र:–

इसी प्रकार अस्थाई खाद्यान्न/आपूर्ति केन्द्रों की स्थापना, भुखमरी न पैदा होने के लिए आपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी। इनमें आश्रय केन्द्रों के विस्थापितों व प्रभावितों के लिए ओड़ने/बिछाने, भोजन, भोज्य सामग्री (आनाज,गुड,चना) उपलब्ध करायी जायेगीं यह केन्द्र भी दैवीय आपदाओं का बड़ा स्वरूप होने पर ही स्थापित होगा। छोटी आपदाओं में निकटतम सस्ते गल्ले की दुकान से आनाज वितरण कराया

जायेगा। इन केन्द्रों से पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था हेतु मोमबत्ती/ लालटेंट आदि वितरित कराई जायेगी। इसके लिए नोडन विभाग, पूर्ति विभाग होगा।

पेयजल :–

पेयजल व्यवस्था के बाधित होने पर निकटतम स्रोत से पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। यदि पेयजल स्रोत नहीं होगा तो जल संस्थान/जल निगम/वन विभाग/लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/नगरपालिका परिषदों में उपलब्ध टैंकरों से पेयजल प्रभावित क्षेत्र में उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए नोडल विभाग, जल संस्थान जल निगम होंगे।

शैक्षणिक संस्थानः–

यदि आपदा के स्वरूप में शैक्षणिक कार्य व भवन प्रभावित होता है तो निकट के स्कूलों में अध्यापक बढ़ा कर उनमें बच्चों की शिक्षा सुचारू रखी जायेगी। यदि अन्य स्कूल निकटतम न हो तो किसी सुरक्षित स्थान पर, खुले में या टैन्ट या टीन सेड निर्मित अस्थाई स्कूल में विद्यालय निर्मित कर शैक्षणिक कार्य सुचारू रखा जायेगा। यह कार्य शिक्षा विभाग करेगा। अस्थाई शिक्षा केन्द्र उपलब्ध सुरक्षित सरकारी कार्यालय भवन, पंचायत घर आदि में भी किया जा सकता है।

सहायता दल/केन्द्र :–

बड़े प्रभावित क्षेत्रों में विभागीय सहयोग के अलावा, राहत कार्यों में तीव्रता लाने के लिए विभागीय कर्मचारियों का सहायता दल बनाया जायेगा। सहायता दल में नजदीक के (सुरक्षित स्थानों के) ग्रामीण जनों एन0सी0सी0 कैडिटों, स्काउट नायकों का सहायता दलों का निर्माण किया जायेगा। इसमें पुलिस, पुलिस फायर दल आदि का भी सहयोग लिया जायेगा, जो प्रभावित क्षेत्रों में विभागीय राहत कार्यो में सहयोग के साथ, प्रभावित क्षेत्र में फँसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जायेगा व घायलों को अस्थाई स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुँचायेगा व सहायता माँगने पर सहायता उपलब्ध करायेगा।

विशेष परिस्थितियों यदि किसी ग्राउण्ड रैस्क्यू दल की आवश्यकता हो तो कुमायूँ मण्डल विकास निगम के साहिसक कार्य दल के युवाओं को स्थल पर भेजा जा सकता है।

सम्पत्ति/पर्यावरण अनुरक्षण दल :–

इस दल का प्रमुख कार्य प्रभावित क्षेत्र में पाई जाने वाली सम्पत्ति का अनुरक्षण करना होगा। इसमें पुलिस विभाग के कर्मियों का सहयोग लिया जाना होगा/यह कार्य पुलिस विभाग द्वारा किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण अनुरक्षण के लिए वन विभाग, कृषि विभाग, नगरपालिका आदि की भूमिका प्रमुख होगी। फसलों वृक्षों, वायु मण्डल में जन–जीवन को सामन्य बनाये रखने वाली दबाईयों का छिड़काव आवश्यकीय है। जिसमें फसलों, प्रकृति व मानवीय जन जीवन को आपदा के कुप्रभावों से बचाया जा सके, यह कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा।

राजस्व विभाग को उपरोक्त कार्य व विभागीय समन्वय के अतरिक्त राजस्व विभाग की पर्यवेक्ष के रूप में भी अहम भूमिका होगी। राजस्व विभाग के राहत कार्य के अतिरिक्त व विभागयी समन्वय के अतिरिक्त किये जा रहे राहत कार्यों व विभागीय कार्यो में पर्यवेक्षक की भूमिका का भी निर्वहन अत्यन्त आवश्यक होगा। पर्यवक्षक के रूप में अधिकारियों को देखना होगा कि राहत कार्य, कुशलता से, तीव्रता से हो ताकि जन जीवन को सामान्य बनाने मे देरी न हो। जन जीवन व समस्त व्यवस्थायें सामान्य बनाने में, प्रभावित लोगों द्वारा रहात कार्य में लगे विभागीय अधिकारियों/कर्मियों, दलों आदि को व्यवधान/आक्रोश का सामना न करना पड़े। यदि इसे ध्यान में नहीं रखा जायेगा तो राहत कार्य प्रभावित होगा।

सैन्य बल का उपयोग :–

बड़े आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कुशल नियंत्रण व तीव्रता के साथ राहत कार्य व जनजीवन सामान्य बनाने हेतु अति आवश्यकता पड़ने पर सैन्य रक्षक दलों (आर्मी) का भी सहयोग लेना होगा। जिलाधिकारी अपरिहार्य स्थिति में तद्नुसार क्षेत्र के स्टेशन कमांडर से अनुरोध करेंगे।

प्रथम चरण में सेना की मानव शक्ति एवं उनके पास उपलब्ध अन्य साधनों को मोटर मार्गो के अवरोधों को दूर करने के कार्यो में लगाया जायेगा। सैन्य हैलीक्पटरों द्वारा बाढ़/भकम्प प्रभावित स्थानों में

फँसे लोगों को निकालने का कार्य किया जायेगा। मृतकों को मलवे से निकालने के लिए सैनिकों का प्रयोग किया जायेगा तथा दुर्गम स्थानों से मृतकों के शवों को निकालने के लिए सेना के हैलीकाप्टरों का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जायेगा। सेना के पास उपलब्ध चिकित्सा सुविधा का उपयोग भी घायलों के उपचार हेतु किया जायेगा। वाहनों का उपयोग भी राहत कार्य में राहत सामाग्री पहुॅचाने में किया जायेगा।

अतः जिला कार्यालय के पास, सेना के पास उपलब्ध सभी संसाधनों की सूचना एवं विवरण पूर्व में उपलब्ध रहेगा। आपदा की विशेष आवश्यकता होने पर ही सेना का प्रयोग किया जायेगा।

वायु सेना की मदद अथवा वायु सेना के अवाई जहाज/हैलीकाप्टर की आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित अधिकारियों के दूरभाष नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता हैं। (अन्य महत्त्वपूर्ण दूरभाष नम्बर कार्ययोजना के अन्तिम पृष्ठों में भी देखे जा सकतें है।)

1. ग्रुप कैप्टन– स्टेशन कमाण्डर	0581–249079, 249078–481
2. विंग कमाण्डर–मुख्य तकनिकी आफिसर	249078–409
3. स्कावड्रन लिडर–वरिष्ठ चिकित्सा आफिसर	249078–404
4. फ्लाइंग आफिसर–वरिष्ठ प्रशासनिक आफिसर	249078–406
5. वायु सेना एक्सचैन्ज, बरेली	2449003

आपातकाल की स्थिति में सभी विभागाध्यक्षों की प्रतिदिन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक होगी जिसमें प्रतिदिन प्राप्त सूचनाओं का आंकलन किया जायेगा। राहत कार्य सम्बन्धित अग्रिम कदम उठाये जायेगे, ऐसी बैठक प्रतिदिन सब डिविजनल स्तर पर भी अपर जिलाधिकारी द्वारा ली जायेगी।

आपदा की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राहत कार्यों में लगे व आवश्यक विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपरिहार्य स्थितियों के अतिरिक्त माह जुलाई से माह सितम्बर तक किसी भी प्रकार का कोई आवकाश व मुख्यालय छोडने की अनुमति देय नहीं होगी।